हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : dsw@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाश : 0788-2359100

क्र./2181/अधि./शोध/2022 — दुर्ग, दिनांक : 02/09/2022

// सूचना //

(पी–एच. डी. कोर्सवर्क से संबंधित)

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुक्रम में समस्त शोध केन्द्र/शोध निर्देशकों एवं **सत्र 2022 में आयोजित विभागीय शोध समिति की बैठक** (विश्वविद्यालय सूचना क्र. 1223/अधिष्ठाता/शोध/2022, दुर्ग, दिनांक 24/03/2022 एवं 1543/अधिष्ठाता/शोध/2022, दुर्ग, दिनांक 20/07/2022 के अनुसार) **से प्रवेशित पी–एच.डी. शोधार्थियों** को सूचित किया जाता है कि –

1. सत्र 2022 में आयोजित विभागीय शोध समिति की बैठक से प्रवेशित पी–एच.डी. शोधार्थियों हेतु पी–एच.डी. कोर्सवर्क अध्ययन समय सीमा **दिनांक 05/09/2022 से दिनांक 04/03/2023** अर्थात छः माह की होगी तत्पश्चात् कोर्स–वर्क परीक्षा आयोजित किया जावेगा।
2. समस्त शोध केन्द्र उक्त पी–एच.डी. शोधार्थियों के पी–एच.डी. कोर्सवर्क की नियमित कक्षायें शोध केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से प्रारंभ करें।
3. समस्त शोधार्थी एवं शोध निर्देशक विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
4. विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य पाठ्यक्रमों के अनुसार ही पी–एच.डी. कोर्स–वर्क के छात्र/छात्राओं की उपस्थिति शोध केन्द्रों में न्यूनतम 75% होना अनिवार्य है। पर्याप्त उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी। जिसके लिए शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. समस्त शोध केन्द्र पी–एच.डी. शोधार्थियों की उपस्थिति, उपस्थिति पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करावें।
6. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र द्वारा कोर्स–वर्क की गतिविधियों की जानकारी तथा शोधार्थी की शोध केन्द्र में उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर पी–एच.डी. प्रकोष्ठ, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
7. यह कि उपर्युक्त कंडिका–4 अनुसार शोध केन्द्र द्वारा शोधार्थी की उपस्थिति की जानकारी हेतु उपस्थिति पत्रक विश्वविद्यालय पी–एच.डी. प्रकोष्ठ को प्रत्येक माह प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स–वर्क परीक्षा में बैठक की अनुमति नहीं दी जावेगी। जिसके लिए संबंधित शोध केन्द्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. अध्यादेश–45 के प्रावधानानुसार योग्य आवेदकों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पर कोर्स–वर्क से छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ऐसे आवेदक विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार शोध निर्देशक के निर्देशन में शोध रूपरेखा तैयार करेंगे।
9. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पी–एच.डी. कोर्स–वर्क से छूट प्राप्त है, वे भी नियमतः संबंधित शोध केन्द्र में कोर्स–वर्क की कक्षायें पूरी कर पी–एच.डी. कोर्स–वर्क की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

Bhudey
कुलसचिव

पृ. क्र. 2182/अधि./शोध/2022 — दुर्ग, दिनांक : 02/09/2022

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र/प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालयों को सूचनार्थ कि उक्त पत्र से शोधार्थियों एवं शोध निर्देशकों को अनिवार्य रूप से अवगत करावें एवं महाविद्यालय सूचना पटल में लगाना सुनिश्चित करें।
2. कुलपति के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।
3. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ।

2/9/22
अधिष्ठाता छात्र कल्याण